संख्या– 245/अरसठ–4–2021–390/2020

प्रेषक,

डा0 काजल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2021

विषयः–कोविड–19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्यालय बन्द होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–56/68–5–2021 दिनांक 05 फरवरी, 2021 के माध्यम से कक्षा–6 से 8 के छात्रों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10.02.2021 एवं कक्षा–1 से 5 के छात्रों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 01.03.2021 से प्रारम्भ है। विद्यालय दिवस में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में उपस्थित छात्रों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

2– शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक 29 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या–768/अड़सठ–3–2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन लागत की धनराशि, डी0बी0टी0 के माध्यम से तथा खाद्यान्न, प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय (कोटेदार) के माध्यम से क्रमशः दिनांक 24.03.2020 से 30.06.2020 तक 76 दिनों तथा दिनांक 01.07.2020 से 31.08.2020 तक 49 दिनों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने के आदेश पूर्व में दिये जा चुके हैं।

3– अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी के कारण विद्यालय बन्द होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अन्तर्गत **उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से 09 फरवरी, 2021 तक कुल 124 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्यान्न 18.600 किग्रा0 (चावल–12.400 किग्रा0, गेहूँ–6.200 किग्रा0) एवं परिवर्तन लागत की धनराशि रू0 923/– प्रति छात्र तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक कुल 138 विद्यालय दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) हेतु खाद्यान्न 13.800 किग्रा0 (चावल–9.200 किग्रा0, गेहूँ–4.600 किग्रा0) एवं परिवर्तन लागत धनराशि रू0 685/– प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।**

4– खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण शासनादेश संख्या–435/अड़सठ–3–2020 दिनांक

2/–

29 मई, 2020 एवं शासनादेश संख्या—768 / अड़सठ—3—2020 दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन लागत की धनराशि, डी0बी0टी0 के माध्यम से तथा खाद्यान्न, प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय (कोटेदार) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

5— उपर्युक्तानुसार खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों / उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी, जिसका सतत् अनुश्रवण जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अतएव कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाय।

भवदीया,

(डा0 काजल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बारखम्भा रोड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण / बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
12. नियोजन अनुभाग—4 / वित्त (ई—11) बजट अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

Su.mdm.go.dell